भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   FN 220243

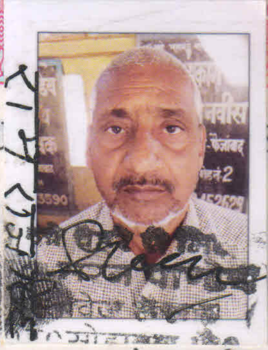

ट्रस्टडीड

सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट

समाज के सम्मानित व्यक्तियों, समाज सेवियों, शिक्षाविदो, सहयोगियों, दानियों तथा भारतीय संस्कृति के पोषक व्यक्तियों की एक बैठक दिनांक 14.02.2021 को ग्रा0–मोइया कपूरपुर, पो0–मोइया बेगमगंज, तह0–सोहावल, जिला–अयोध्या (उ0प्र0) में प्रातः 10.00 बजे सम्पन्न की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षिक, धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकतानुसार ''**सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट**'' की स्थापना किया जाये तथा इसका पंजीकरण कराया जाये। ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता, उद्देश्य तथा उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ''**सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट**'' के द्वारा ही समस्त कार्यक्रम संचालित होगें। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णयोपरान्त मैं राम राज सिंह मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ, को ट्रस्ट के गठन तथा ट्रस्ट को स्थापित करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया।

हम ट्रस्टीज इस शुभ कार्य के लिए मु0 11000/–रूपये इस ट्रस्ट को समर्पित करते है। अतः मैं राम राज सिंह इस न्यास पत्रक द्वारा उपरोक्त कार्य प्रयोजन व अन्य उद्देश्यों एवं प्रयोजनों जिनका विवरण इस न्यास–पत्रक में आगे विस्तार से उल्लिखित है, इस न्यास के न्यासीगण को नामित एवं नियुक्त कर जिनका नाम आगे इस न्यास पत्र में वर्णित है।''

'' ट्रस्ट नामक उपरोक्त ट्रस्ट की घोषणा करके स्थापित करता हूँ।

1. **ट्रस्ट का नाम :– सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट**
2. **ट्रस्ट का पता :– ग्रा0–मोइया कपूरपुर, पो0–मोइया बेगमगंज, तह0–सोहावल, जिला–अयोध्या (उ0प्र0)**
3. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत**

रामराजसिंह

क्रमश पृष्ठ ....(2) पर

1 ७८
67 10

~~सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट~~
~~मोइपाकपुर (मोइपाकपुर) मैन~~
~~कोठराम अयोध्या~~

~~विनय कुमार~~ २२

विनय कुमार-स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं०- 160
स्थान-तहसील परिसर सोहावल अयोध्या

नलिनेश प्रताप सिंह S/o श्री भगवान बख्श सिंह
ग्रा० लक्ष्यशेखरमदमूद पो० नाहन तह० बीकापुर
जिला-अयोध्या-२४२८४०२२६६

नलिनेश प्रताप सिंह

जयराम S/o टहलू साकिन मौजा
मोइपाकपुर पो० मोइपाकपुर तहसील
सोहावल जिला अयोध्या
मो०नं०

जयराम

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश
जिला अयोध्या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) FN 220244

4. **ट्रस्ट का उद्देश्य :–**

1. क्षेत्र के नागरिकों में देश की एकता अखण्डता हेतु देश–प्रेम की भावना जागृत करना एवं राष्ट्रीय एकता, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
2. जनहितार्थ पूजा स्थल, धर्मशाला, धर्मार्थ आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना तथा स्मारक, सरोवर आदि का निर्माण एवं जीर्णोधार कराना।
3. जन कल्याणार्थ आश्रम पद्धति पर आधारित शिक्षा संस्थानों का निर्माण करना।
4. बालक/बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालय/ महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
5. ट्रस्ट द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालय, औषधालय, वाचनालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि का निर्माण करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
6. दैवी आपदाओं में जैसे–बाढ़, सूखा, अग्निकांण्ड, भूकम्प, तूफान आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।
7. उक्त न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से चल–अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना तथा भवन आदि का निर्माण करना।
8. न्यास को सम्पन्न, समृद्ध एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु धन, सम्पत्ति, भूमि–भवन, वाहन उपकरण इत्यादि क्रय करना अथवा समाज से प्राप्त करना।
9. सिद्धपीठ माँ काली मन्दिर की देख–रेख व सुरक्षा करना तथा मन्दिर का जीर्णोधार आदि कराना व पूजा से सम्बन्धित समस्त प्रबन्ध करना।

रामराज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(3) पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 220245

10. समाज के मंदबुद्धि, मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धो, मजदूरों, कारीगरों, तथा निराश्रितों बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

11. निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

12. बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्षेत्र में बालिका विद्यालय/बालिका महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

13. गरीब एवं असहाय बालक/बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई, संगीत, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिस स्पीकिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी कालीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

14. मूक बाधिर, विकलांग, अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा गरीब असहायों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराना।

15. शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु नवीनतम् तकनीक, प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, विधि कालेज, व्यवसायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा (चिकित्सा/मेडिकल कालेज), फार्मेसी, पैरामेडिकल, आयुष शिक्षा, बी0एड0/बी0पी0एड0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना।

16. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, गौ-संरक्षण, गौ-पालन, भूमि एवं जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, वन संरक्षण एवं वनजीव संरक्षण, पशु पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

रामराज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(4) पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 220246

17. जन कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

18. बाल तथा बंधुवा मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमो को संचालित करना।

19. उन्नत कृषि हेतु वैज्ञानिक खेती की विधियों का प्रचार–प्रसार करना व कृषि शोध संस्थान की स्थापना करना तथा कृषको को उन्नतिशील बीज एवं कृषि यंत्रों की तकनीक की जानकारी प्रदान करना।

20. स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वजल, जलनिधि, पेयजल मिशन एवं स्वजल धारा परियोजना का प्रचार–प्रसार एवं निःशुल्क क्रियान्वयन करना।

21. जनता के लिए मोबाइल अस्पताल की स्थापना करना तथा निःशुल्क दवा व इलाज की व्यवस्था करना तथा मोतियाबिन्द व नेत्र इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर कैम्पों का संचालन करना।

22. स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, एड्स जागरूकता, पल्स पोलियो, हेपांटाइटिस जागरूता, अंधता निवारण, कुष्ठ नियंत्रण, क्षय रोग आदि के नियंत्रण का उपाय करना, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बिमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना व बचाव करना एवं शोध संस्थान स्थापित करना।

23. गरीब एवं निराश्रित कन्याओं व मध्यवर्गीय परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु संस्था के माध्यम से सहायता करने का प्रयास करना।

24. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दहेज, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगो को जागरूक करना।

रामराजसिंह

क्रमशः पृष्ठ ....(5) पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01 FEB 2021

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 220247

न्यास के सदस्यो/पदाधिकारियों की सूची :–

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	श्री राम राज सिंह पुत्र स्व0 अवध नारायण सिंह	ग्रा0–मोइया कपूरपुर, पो0–मोइया बेगमगंज, तह0–सोहावल, जिला–अयोध्या	मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष
2.	श्रीमती दिव्यानी सिंह पत्नी श्री शत्रुन्जय सिंह	शिवनगर कालोनी, नागा बाबा, सहादतगंज, तह0–सदर, जिला–अयोध्या	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह	ग्रा0–दतनपुर, पो0–कटारी, गौरीगंज, जिला–अमेठी	महामंत्री
4.	श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी श्री राम राज सिंह	ग्रा0–मोइया कपूरपुर, पो0–मोइया बेगमगंज, तह0–सोहावल, जिला–अयोध्या	सदस्य
5.	श्री जय चन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हरि बक्श सिंह	ग्रा0–डिठोलिया, पो0–थौरी, जिला–अमेठी	सदस्य

5. **ट्रस्ट के धन विनियोग :–**

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश विदेश से दान लेना, धन संग्रह करना एवं ट्रस्ट के हित में व्यय करना व ट्रस्ट की अनुमति प्राप्त करके भूमि/भवन इत्यादि का क्रय–विक्रय करना, निर्माण करना, बंधक रखना, पट्टे पर लेना, लीज पर देना, क्रय विनियम, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

रामराज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(6) पर

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
सत्यमेव जयते
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
01 FEB 2024
जनपद अयोध्या 3090
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
FN 220248

3. अपने समस्त कार्यो हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हो।

6. **ट्रस्ट की सदस्यता :–**

हर वह स्त्री अथवा पुरुष जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, स्थाई सदस्यों के द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है।

7. **ट्रस्ट मण्डल :–**

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 (पांच) की होगी।
2. ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्ट मण्डल द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
3. ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता, जिसमें वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी प्राथमिकता के क्रम में या मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
4. ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्णय से ही की जायेगी।
5. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा निर्णय ही मान्य होगा।

राम राज सिंह

क्रमशः पृष्ठ ....(7) पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BW 710662

6. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यो का क्रियान्वययन ट्रस्ट के प्रबन्धन की सहमति के बाद ही मान्य होगी।

7. ट्रस्ट का सदस्य भविष्य में ट्रस्ट मण्डल के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही बनाया जा सकेगा।

8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

7.अ. ट्रस्ट के न्यासीगण की नियुक्ति :-

इस ट्रस्ट–पत्रक द्वारा नियुक्त सभी ट्रस्टीगण ट्रस्ट के स्थाई ट्रस्टी होगें। उन्हें अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/नियुक्त करने का अधिकार होगा। वे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नामित/नियुक्त कर सकेंगे। ऐसा न होने पर शेष बचे न्यासी मृतक न्यासी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मति या बहुमत से प्रस्ताव कर भविष्य में न्यासी नियुक्त करेंगे। मृतक ट्रस्टी के परिवार में यदि कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो न्यास के शेष न्यासी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह न्यास के स्थायी ट्रस्टीगण के परिवार का हो तथा ट्रस्ट के हित तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित हो। न्यास के पदाधिकारी/स्थायी ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

7. ब. बैठक :- ट्रस्टीज की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार 15 दिन या 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलायी जा सकती है।

7. स. कोरम :- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल विशिष्ट सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम माना जायेगा।

रामराजसिंह

क्रमश पृष्ठ ....(8) पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 710663

7. द. ट्रस्टीज बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. पूर्व बैठक की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2. आगामी वर्ष के बजट पर सहमति प्रदान करना।
3. किसी ऐसे कार्यो के लिए कार्यवाही करना जिससे मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष ने कार्यवाही हेतु बैठक में पेश किया हो।
4. किसी विशेष आवश्यकता के लिए उपसमिति बनाना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
6. ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
7. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हों।

8. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:–

मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष :–

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठक के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना एवं परिवर्तन करना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में सलाह देना।
5. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।
6. ट्रस्ट के हित में आवश्यकतानुसार अन्य ट्रस्टीज/पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

राम राज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(9) पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 710664

7. ट्रस्ट के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं निष्कासित करना।

8. प्रशासकीय कार्यो के दायित्वों का निर्वहन करना।

9. चल एवं अचल सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना।

10. ट्रस्ट के नियमावली में ट्रस्ट के हित में किये गये संशोधन को स्वीकृति देना।

11. अन्य वित्तीय कार्य जो भी हो, उन्हे सम्पादित करना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

12. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

13. ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

14. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभागों/मंत्रालयों से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

15. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विभिन्न समूहों के गठन हेतु स्वयं प्रस्ताव देना अथवा सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकार करना। तत्पश्चात् प्रबन्ध ट्रस्टीज में बहुमत से प्रस्ताव के पारित होने के बाद समूहों के गठन हेतु स्वीकृति/अनुमति प्रदान करना।

16. ट्रस्ट के अधीन प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियां/यूनिटें सम्मिलित हैं), पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि के अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टीज में निहित माने जायेगें।

17. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।

क्रमश पृष्ठ ....(10) पर

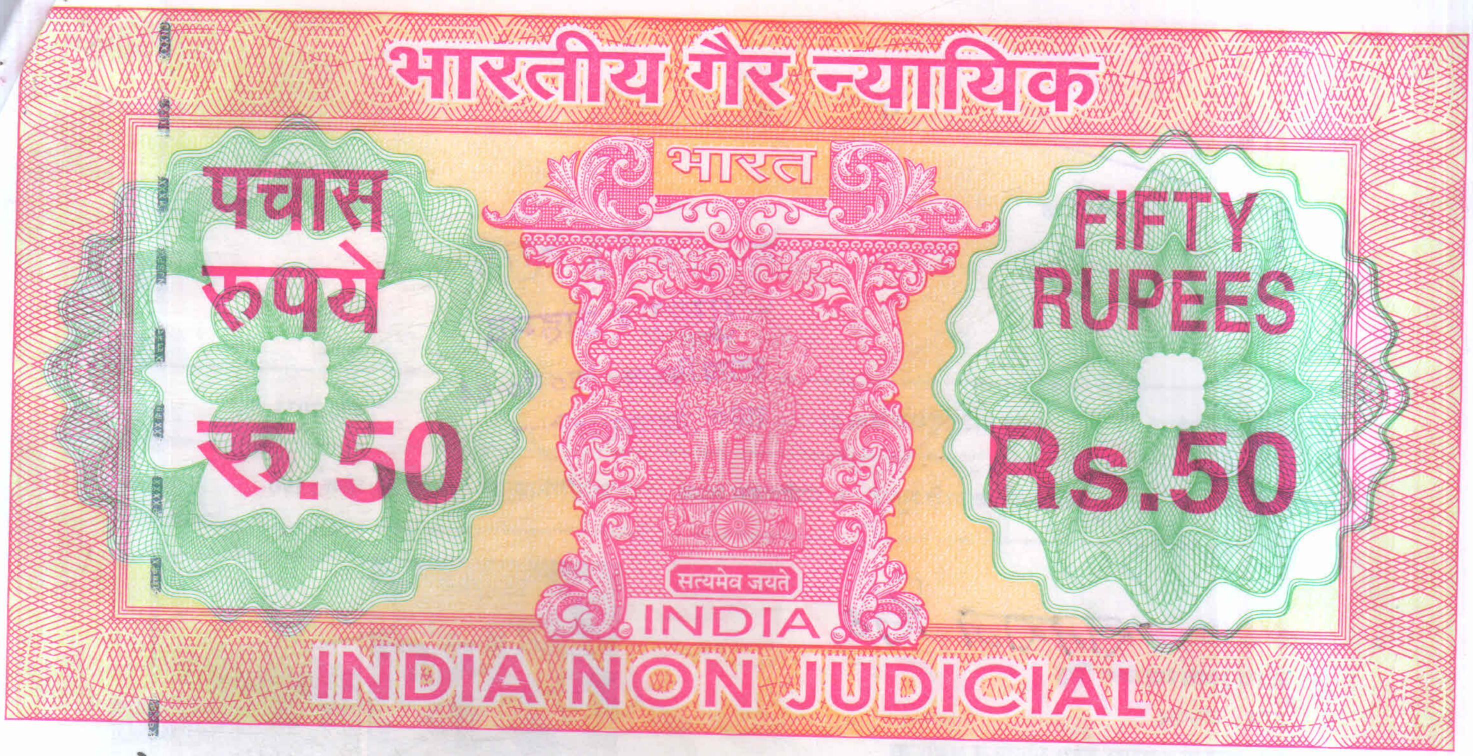

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 710665

18. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना तथा बैंक खातें का संचालन महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

उपाध्यक्ष :–

मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सौपे गये कार्य करना तथा उनके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

महामंत्री :–

1. दान एवं अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
3. बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
5. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
6. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।

12. ट्रस्ट के नियम में संशोधन व परिवर्तन :–

ट्रस्ट के विधान या नियम में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसे संशोधन व परिवर्तन करने के लिए एक माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी तथा ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही ट्रस्ट के विधान या नियम में संशोधन या परिवर्तन किया जायेगा।

13. ट्रस्ट का कोष :–

ट्रस्ट का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण/संचालन मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

रामराज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(11) पर

3016

नि० नं-303

आवेदन सं०: 202100904001298

16-2-21

मुख्तार अहमद
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-64
तह० सोहावल, अयोध्या

न्यास पत्र

बही सं०: 4 **रजिस्ट्रेशन सं०: 11** **वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 860 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 190

श्री राम राज सिंह, रामराज सिंह
पुत्र श्री स्व अवध नारायण सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: मोइया कपूरपुर तह0 सोहावल अयोध्या
रामराज सिंह

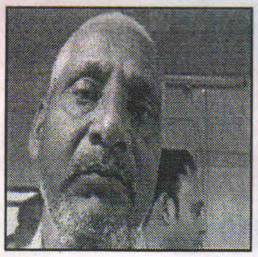

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/03/2021 एवं 02:42:19 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बल्देव सिंह (प्र०)
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
01/03/2021

कनिष्ठ सहायक निबन्धन
निबंधक लिपिक

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 710666

14. **ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:–**

ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

15. **ट्रस्ट द्वारा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:–**

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

16. **ट्रस्ट की सम्पत्ति:–**

सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति रहेगी। किसी भी समय पर किसी भी रूप में चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को प्राप्त होती है तो वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति एवं नगदी ट्रस्ट की होगी। वह राशि निकालते समय मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के पद की मुहर एवं हस्ताक्षर तथा मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

17. **ट्रस्ट की सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार:–**

ट्रस्ट की वर्तमान या भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार न्यासी के सहमति के आधार पर मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त रहेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्णयानुसार कोई भूमि, भवन, वस्तु ट्रस्ट के हित में क्रय करने तथा दैनिक उपयोग में ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार चल व अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को होगा। ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय चाहे वह किसी भी हालात से प्राप्त हो केवल ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा होगा।

रामराज सिंह

क्रमश पृष्ठ ....(12) पर

आवेदन सं०: 202100904001298

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 11 | वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री राम राज सिंह, पुत्र श्री स्व अवध नारायण सिंह

निवासी: मोइया कपूरपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जयराम , पुत्र श्री ठहलू

निवासी: मोइयाकपूरपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री नलिनेश प्रताप सिंह, पुत्र श्री भगवान बखश सिंह

निवासी: सरायशेख महमूद तह0 बीकापुर अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

बल्देव सिंह (प्र०)
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

कनिष्ठ सहायक निबन्धन
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

28AE 430329

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12)

अतः मुझ प्रथम न्यासी/मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष राम राज सिंह द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक 14/02/2021 को निष्पादित किया गया है कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

हस्ताक्षर

रामराज सिंह

(राम राज सिंह)

पुत्र स्व0 अवध नारायण सिंह

मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष

प्रथम गवाह	द्वितीय गवाह
हस्ताक्षर जयराम	हस्ताक्षर नलिनेश प्रताप सिंह
जयराम	नलिनेश सिंह
पुत्र श्री ठहलू	पुत्र श्री भगवान बक्श सिंह
ग्रा0–मोइया कपूरपुर, पो0–मोइया बेगमगंज, तह0–सोहावल, जिला–अयोध्या (उ0प्र0)	ग्रा0–भीऊपुर, पो0–तारुन, तह0–बीकापुर, जिला–अयोध्या (उ0प्र0)

रामराज सिंह

विनय कुमार-स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं0- 160
स्थान- तहसील परिसर सोहावल अयोध्या

आवेदन सं०: 202100904001298

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ 273 से 296 तक क्रमांक 11 पर दिनाँक 01/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बल्देव सिंह (प्र०)
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
01/03/2021

रजि. नं.

"ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै माँ काली दैव्यै नमः।।"

Mob. 9839603134

सिद्धपीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट

ट्रस्ट द्वारा गरीबों, असहायों, अनाथों, निर्बलों, वृद्धों, विधवाओं, निराश्रितों आदि की सेवा एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार, धार्मिक कार्य, गौ सेवा, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मंदिर निर्माण जीर्णोद्धार आदि सामाजिक कार्य संचालित किये जाते हैं।

अध्यक्ष :
रामराज सिंह

भगवतीगंज, मोइया, सोहावल, जिला - अयोध्या (उ.प्र.)

पत्रांक : ....

दिनांक : ....

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated : 10-01-2024

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,
SIDHPEETH MAA KALI DHARMARTH TRUST ,
Moiyakapoorpur,Moiyabegumganj,Faizabad,UP26,UP,224188

PAN : ABCTS4053L

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities
Reference: Your application dated 10-01-2024 (SRN-F89912257)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00065015. Please refer the registration number for any further communication.

DS DS MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVT OF INDIA) 1

Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional approval

1	PAN	ABCTS4053L
2	Name	SIDHPEETH MAA KALI DHARMARTH TRUST
2a	Address	
	Flat/Door/Building	0
	Name of premises/Building/Village	Moiyakapoorpur
	Road/Street/Post Office	Moiyabegumganj B.O
	Area/Locality	Sohawal
	Town/City/District	FAIZABAD
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	224188
3	Document Identification Number	ABCTS4053LF2023101
4	Application Number	239091980150623
5	Unique Registration Number	ABCTS4053LF20231
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional approval is being granted	12-Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of provisional approval	22-06-2023
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally approved	From AY 2024-25 to AY 2026-2027
9	Order for provisional approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The approval is granted subject to the following conditions:-	
	a. The registration granted under section 12AB or approval granted under clause (23C) of section 10 has not been cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner for specified violations as mentioned in sub-section (4) of section 12AB or under fifteenth proviso to clause (23C) of section 10.	

SIDHPEETH MAA KALI DHARMARTH TRUST

Unique Id of VO/NGO	UP/2024/0392589

Registration Details

Registered With	Sub-Registrar
Type of NGO	Trust (Non-Government)
Registration No	4-20-11
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	INDIAN TRUST ACT 1881
City of Registration	FAIZABAD
State of Registration	UTTAR PRADESH
Date of Registration	14-02-2021

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
RAM RAJ SINGH	Chairman	Available	Available
divyani singh	Vice Chairman	Available	Available
kalpna singh	Member	Available	Available
rajesh kumar singh	Secretary	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Any Other
Operational Area-States	UTTAR PRADESH
Operational Area-District	UTTAR PRADESH->Faizabad

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.

अध्यक्ष
सिद्ध पीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट
मोइया कपूरपुर, मोइया बेगमगंज
अयोध्या

Not Available	Not Available

Details of Achievements

WORSHIP PLACE RENOVATION , ASHRAM , BHANDARA, CLOTH DISTRIBUTION ETC.

Source of Funds

Department Name	Source	Finacial Year	Amount Sanctioned	Purpose
Not Specified	Any Other	2020-2021	Not Specified	FUND WAS ARRANGED BY DONATION
Not Specified	Any Other	2021-2022	Not Specified	FUND WAS ARRANGED BY DONATION
Not Specified	Any Other	2022-2023	Not Specified	FUND WAS ARRANGED BY DONATION
Not Specified	Any Other	2023-2024	Not Specified	FUND WAS ARRANGED BY DONATION

Contact Details

Address	Moiyakapoorpur, Moiyabegumganj B.O.,Sohawal Faizabad-224188
City	FAIZABAD
State	UTTAR PRADESH
Telephone	Not Available
Mobile No	9839603134
Website Url	Not Available
E-mail	capmaurya(at)gmail[dot]com

Singh
अध्यक्ष
सिद्ध पीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट
मोइया कपूरपुर, मोइया बेगमगंज
अयोध्या

SIDHPEETH MAA KALI DHARMARTH TRUST

Unique Id of VO/NGO	UP/2024/0392589

Registration Details

Registered With	Sub-Registrar
Type of NGO	Trust (Non-Government)
Registration No	4-20-11
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	INDIAN TRUST ACT 1881
City of Registration	FAIZABAD
State of Registration	UTTAR PRADESH
Date of Registration	14-02-2021

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
RAM RAJ SINGH	Chairman	Available	Available
divyani singh	Vice Chairman	Available	Available
kalpna singh	Member	Available	Available
rajesh kumar singh	Secretary	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Any Other
Operational Area-States	UTTAR PRADESH
Operational Area-District	UTTAR PRADESH->Faizabad

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.

अध्यक्ष
सिद्ध पीठ माँ काली धर्मार्थ ट्रस्ट
मोइया कपूरपुर, मोइया बेगमगंज
अयोध्या

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional registration

1	PAN	ABCTS4053L
2	Name	SIDHPEETH MAA KALI DHARMARTH TRUST
2a	Address	
	Flat/Door/Building	0
	Name of premises/Building/Village	Moiyakapoorpur
	Road/Street/Post Office	Moiyabegumganj B.O
	Area/Locality	Sohawal
	Town/City/District	FAIZABAD
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	224188
3	Document Identification Number	ABCTS4053LE2023101
4	Application Number	239021580150623
5	Unique Registration Number	ABCTS4053LE20231
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional registration is being granted	02-Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A
7	Date of provisional registration	22-06-2023
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally registered	From AY 2024-25 to AY 2026-2027
9	Order for provisional registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The registration is granted subject to the following conditions:-	
	a. Any income derived from property held under trust, wholly or in part for charitable or religious purposes, shall not be applied, other than for the objects of the trust or institution.	